झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–348 वर्ष 2017

शरण हेम्ब्रोम, पे0–स्वर्गीय सैमुअल हेम्ब्राम, निवासी–चेशायर रोड, डाकघर एवं थाना–बरियातु, जिला–रांची

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर, थाना एवं जिला–रांची, झारखण्ड।
4. सचिव/हेडमास्टर, सेंट पॉल प्राथमिक विद्यालय, चर्च रोड, डाकघर–चर्च रोड, थाना–चुटिया, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एम0एम0 पान, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– एस0सी0–V के जे0सी0

02/21.03.2017 याचिकाकर्त्ता 29.02.2016 को प्रतिवादी–सेंट पॉल के प्राथमिक विद्यालय, चर्च रोड, रांची की सेवाओं से हेडमास्टर के रूप में सेवानिवृत हुए थे। याचिकाकर्त्ता का यह तर्क है कि विचाराधीन स्कूल एक गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को

राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्त्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्त्ता की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्त्ता के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506/2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किया गया है, के मद्देनजर अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्त्ता के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्त्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि याचिकाकर्त्ता से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांचके बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)